न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1199 / 2024

अनवान : –

1. राकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मुकेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 01/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 479 / 475 के ख0न0 117 की 0.3030 हैक्ट भूमि में से 787 / 1010 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 तथा 223 / 1010 हिस्सा भूमि भूमि के व खाता स0 475 / 473 के ख0न0 814 / 810 की 0.1491 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी राकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश ने जरिये बैयनामा दिनांक 13.06.2024 को पंजीयन न0 202403095102091 को प्रतिवादी संख्या 1 मुकेश कुमार पुत्र रामकुमार से रोही मौजा बडबिराना के खाता स0 475 व 479 की कुल 0.4521 हेक्ट भूमि में से ख0न0 117 में दक्षिणी पासा की 0.0669 हैक्ट भूमि व ख0न0 814 / 810 में दक्षिण पासा की 0.0945 हैक्ट भूमि खरीद की थी जो मुताबिक रजिस्ट्री के सही नामान्तरण ऑटो म्यूटेशन में गलत दर्ज कर दिया गया। मुताबिक बैयनामा के वादी के नाम वाद भूमि दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन ऑटो म्यूटेशन नामान्तरण से भूमि गलत दर्ज हो गयी जिससे वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी रोही मौजा बडबिराना के खाता स0 479 में वादी का 223 / 1010 हिस्सा के स्थान पर ख0न0 117 में दक्षिण पासा की 0.0669 हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 1 के 787 / 1010 हिस्सा के स्थान पर 0.2361 हैक्ट तथा खाता स0 475 में वादी का 0.1491 हैक्ट मं से 0.0945 हैक्ट वादी के व प्रतिवादी संख्या 1 का 0.0546 हैक्ट भूमि सहीं दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषित किया जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 13.06.2024, नामान्तरण संख्या 3785 दिनांक 13.06.2024, रिपोर्ट पटवारी पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 479/475 के ख0न0 117 की 0.3030 हैक्ट भूमि में से 787/1010 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 तथा 223/1010 हिस्सा भूमि भूमि के व खाता स0 475/473 के ख0न0 814/810 की 0.1491 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी राकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश ने जरिये बैयनामा दिनांक 13.06.2024 को पंजीयन न0 202403095102091 को प्रतिवादी संख्या 1 मुकेश कुमार पुत्र रामकुमार से रोही मौजा बडबिराना के खाता स0 475 व 479 की कुल 0.4521 हेक्ट भूमि में से ख0न0 117 में दक्षिणी पासा की 0.0669 हैक्ट भूमि व ख0न0 814/810 में दक्षिण पासा की 0.0945 हैक्ट भूमि खरीद की थी जो मुताबिक रजिस्ट्री के सही नामान्तरण ऑटो म्यूटेशन में गलत दर्ज कर दिया गया। मुताबिक बैयनामा के वादी के नाम वाद भूमि दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन ऑटो म्यूटेशन नामान्तरण से भूमि गलत दर्ज हो गयी जिससे वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी रोही मौजा बडबिराना के खाता स0 4[illegible] में [illegible] का 223/1010 हिस्सा के स्थान पर ख0न0 117 में दक्षिण पासा की 0.0669 हैक्ट [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के 787/1010 हिस्सा के स्थान पर 0.2361 हैक्ट तथा खाता स0 475 में [illegible] का 0.1491 हैक्ट मं से 0.0945 हैक्ट वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के व प्रतिवादी संख्या 1 का 0.0546 हैक्ट भूमि सही दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 मुकेश कुमार पुत्र रामकुमार से रोही मौजा बडबिराना के खाता स0 475 व 479 की कुल 0.4521 हेक्ट भूमि में से ख0न0 117 में दक्षिणी पासा की 0.0669 हैक्ट भूमि व ख0न0 814/810 में दक्षिण पासा की 0.0945 हैक्ट भूमि खरीद की थी लेकिन नामान्तरण मुताबिक बैयनामा दर्ज न होकर सहवन से गलत दर्ज हों गया है जो की नामान्तरण की चित्रप्रति से स्पष्ट है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 479 में वादी के नाम दर्ज 223/1010 हिस्सा के स्थान पर 0.0669 हैक्ट दक्षिण पासा की व प्रतिवादी संख्या 1 का 787/1010 हिस्सा के स्थान पर 0.2361 हैक्ट भूमि व खाता स0 475 में वादी के नाम दर्ज 0.1491 हैक्ट के स्थान पर 0.0945 हैक्ट दक्षिण पासा की व प्रतिवादी संख्या 1 को 0.0546 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1199 / 2024

अनवान : –

1. राकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मुकेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1199 सन 2024 निर्णय दिनांक – 01/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 479 में वादी के नाम दर्ज 223 / 1010 हिस्सा के स्थान पर 0.0669 हैक्ट दक्षिण पासा की व प्रतिवादी संख्या 1 का 787 / 1010 हिस्सा के स्थान पर 0.2361 हैक्ट भूमि व खाता स0 475 में वादी के नाम दर्ज 0.1491 हैक्ट क़े स्थान पर 0.0945 हैक्ट दक्षिण पासा की व प्रतिवादी संख्या 1 को 0.0546 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested